

महत्वपूर्ण एवं खास

अज्ञात वाहन ने अधेड़ महिला को रौंदा

रायपुर (आरएनएस)। सिलतरा स्थित महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज उद्योग के पास अज्ञात वाहन ने अधेड़ महिला को रौंदा दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में धरसीबा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। मिला जानकारी के अनुसार मृतिका प्रेमवती कश्यप 54 वर्ष सिलतरा की रहने वाली थी। बताया जाता है कि कल सुबह वह पैदल कहीं जा रही थी। तभी सिलतरा स्थित महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज उद्योग के पास अज्ञात वाहन ने उसे अपने चपेट में ले लिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

गाय को चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग (आरएनएस)। जिले के भिलाई नगर में एग गाभीन गाय के पेट में चाकू चोंकर घायल करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिला जानकारी के अनुसार भिलाई रूआबांधा निवासी प्रार्थी दुर्गाश यादव ने मंगलवार सुबह थाना भिलाई नगर में आकर सूचना दिया कि उसके पालतू मवेशी गाभीन गाय को मोहल्ले के रामशंकर पिता रामसिंगरे ने रात्रि लाभाग एक बजे धारदार चाकू से पेट में मार दिया है जो चाकू पेट में फंसा हुआ है कि सूचना मिलने पर भिलाई नगर पुलिस सर्वप्रथम मौके पर पशु चिकित्सक बुलाकर घायल गाय के पेट में लगे चाकू को निकलवाकर इलाज कराया गया। जिसके बाद प्रार्थी दुर्गाश यादव के रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में आरोपी के खिलाफ धारा 325 बी.एन.ए. एवम छ ग पशु कृषक परिक्षण अधिनियम 2004 की धारा 10 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई तथा तत्काल आरोपी के गिरफ्तारी पतासाजी हेतु टीम खाना किया गया। दुर्ग के भिलाई नगर पुलिस द्वारा मामले के आरोपी को कुछ घंटे के अंदर ही हिरासत में लिया गया तथा विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

पुलिस ने बलवा की स्थिति से निपटने किया मॉकड्रिल

पुलिस लाईन जशपुर में दंगाईयों पर गोली चलने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

जशपुर (आरएनएस)। आकास्मिक परिस्थितियों एवं दंगाईयों से निपटने के लिये आज रक्षित केंद्र जशपुर में बलवा ड्रिल का मॉक अभ्यास किया गया। उक्त अभ्यास कार्यवाही में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारीगण सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहे। बलवा ड्रिल अभ्यास कार्यवाही की पूरी प्लानिंग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी द्वारा तैयार किया गया एवं रक्षित निरीक्षक अमरजीत खूटे द्वारा व्यवहारिक रूप में परिवर्तित किया गया। बलवा ड्रिल में कमांड के रूप में उप निरीक्षक खोमराव ठाकुर एवं मजिस्ट्रेट के रूप में स.उ.नि. रामनाथ राम को तैनात किया गया था। पुलिस की विभिन्न टोलियों को श्रमिक न्यूनन इत्यादि में विभक्त किया गया था, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अत्याचार बंद करो, शोषण बंद करें एवं हमारी मांगें पूरी करो कहते हुये नारेबाजी कर हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा समझाईस दिया गया कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों द्वारा भी मानने पर वे पुलिस द्वारा लगाये बैरिकेड को तोड़ते हुये आगे बढ़ गये एवं जमकर तोड़-फोड़ कर रहे थे, इसी दौरान परिस्थिति बिगड़ता देख मजिस्ट्रेट के आदेश पर भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिये अश्रु गैस के गोले छोड़े गये जिससे भीड़ कुछ समय के लिये तीतर-बीतर हुआ, भीड़ पुनः और आक्रामक होकर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था, जिस पर परिस्थिति गंभीर एवं जान-माल के नुकसान होने की पूरी संभावना होने पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस की हथियार से लैस टीम आगे बढ़ी और चिन्तित कर दंगाईयों के मुख्य कमांडर, सदस्य सहित कुल 03 लोगों के उपर गोली चलाई गई। गोली चलाने से 03 लोग घायल हुये उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम एंबुलेंस में डालकर इलाज हेतु ले गई।

सरकारी अस्पतालों की लैब में खून की जांचें बंद

गरीब मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, शुगर टेस्ट के साथ खून की जांचें हुई बंद

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ के कई सरकारी अस्पतालों की लैब में खून की जांच बंद होने से गरीब मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें जांच के लिए निजी पैथोलॉजी सेंटरों पर जाना पड़ता है, जो उनके लिए आर्थिक रूप से कठिन है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वतः सज्ञान लिया है और स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होनी है। स्वास्थ्य विभाग को लिखा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसे में बलौदाबाजार, कारबा, देवाड़ा, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, बलरामपुर और



गौरिला पेंडा मरवाही समेत कई जिलों में रिजेंट किट की कमी के कारण खून की जांच बंद हो गई है। रिजेंट किट समस्या पर हाईकोर्ट ने लिखा बड़ा सज्ञान स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कई जिलों में समस्या के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को लिखा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः सज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है और इस मामले पर 10 जुलाई

को सुनवाई होनी है, प्रदेश का सबसे बड़ा अंबेडकर अस्पताल भी पिछले दो साल से रिजेंट किट की समस्या से जूझ रहा है। रायपुर के जिला अस्पताल में करीब 70 फीसदी जांचें नहीं हो रही हैं, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से सैपल जांच के लिए जिला अस्पताल की हमर लैब में भेजे जाते हैं। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिला अस्पतालों में महीनों से अधिकम किट खत्म हो गए हैं। रिजेंट किट की आपूर्ति सीजीएमएससी द्वारा की जानी है, और कमी के बारे में सीएमएचओ को पहले ही सूचित किया जा चुका है। अधिकारियों ने तत्काल आपूर्ति व्यवस्था का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, उम्मीद है कि हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद स्पष्ट जवाब दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के शिविर में 93 बच्चों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण



डॉक्टरों ने शिविर में दी गई चिकित्सीय सलाह सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश साहू के निदेशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत जिले के कुल 170 गंभीर बच्चों का परीक्षण कर दवाएं उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ साय, डॉ अनिल सिदार एवम महिला बाल विकास के सेक्टर पर्यवेक्षक श्रुति चौहान, मुस्कान अग्रवाल और विजेता केशरवानी सहित आगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। योजना अंतर्गत कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की संभलाने हेतु योजना का संचालन कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण एवं बाल रोग विशेषज्ञों संबंधी अपराधों में अंकुश लगाने इसी प्रकार कराई जाती है। परियोजना कोसीर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा

स्वास्थ्य विभाग की सहभागिता में सेक्टर छिंद में स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी में हुए स्वास्थ्य शिविर में आसपास के ग्रामों के कुल 93 कुपोषित बच्चे लाभाभित्त हुए। इसी प्रकार परियोजना सारंगढ़ में महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहभागिता में सारंगढ़ शहरी, ग्रामीण, हरदी व दानसरा सेक्टर में हुए स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर में आसपास के ग्रामों के कुपोषित बच्चों की जांच की गई और उनके अभिभावकों को पोषण आहार के संदर्भ में सलाह दी गई। शिविर में शहरी क्षेत्र सारंगढ़ के वार्ड 03, 13, 10, कटेली, दुर्गापाली बड़े, खररी बड़े व परियोजना कोसीर अंतर्गत सेक्टर छिंद से परसापाली, चंदाई, गायदरहा, खोखरीपाली, बोरदी, कुधरी, छिंद, सोडिका, कलमी, राणगुला, कटेकोनी, सराईपाली, बेलपाली के बच्चे शामिल हुए।

संदिग्धों की जांच और किरायेदारों के सत्यापन के लिए पुलिस ने चलाया अभियान

सुबह एक साथ शहर के कई वार्डों में पुलिस टीम ने किया सप्राइज चेक

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर आज सुबह शहर के सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत डीएसपी अभिनव उपाध्याय एवं नगर निरीक्षकों के नेतृत्व में साइबर सेल व शहर के थानों की पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग वार्डों में संदिग्धों व्यक्तियों की जांच और किरायेदारों के सत्यापन के लिये सप्राइज चेक किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रभारियों को नियमित रूप से उनके क्षेत्र के किरायेदारों तथा मुसाफिरों, फेरी वालों, जड़ी-बूटी बेचने वालों का उनके आधार कार्ड से वैरिफिकेशन



करने एवं उनके गतिविधियों की जांच का निर्देश दिया गया है। शहर के सभी थानाक्षेत्र में 3-3 टीमों बनाई गई थी, एक टीम में थाना प्रभारी स्वयं थे। डीएसपी अभिनव उपाध्याय द्वारा जूटमिल क्षेत्र में थाना और साइबर की टीम के साथ किरायेदार चेक कर 43 मकान मालिक, किराएदार को थाने लाया गया। थाने में किराएदारों के क्रियाकलाप और व्यवसाय की जानकारी ली गई। डीएसपी अभिनव ने मकान मालिक को सख्त हिदायत दिया गया कि यदि कोई मकान मालिक अपने किरायेदार व नौकर का वैरिफिकेशन नहीं करता तो संबंधित मकान मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। विशेष जांच अभियान की दिनदयाल कालोनी, डिमरापुर, बड़े रामपुर,

इंदिरानगर, टुकुमुडा, कबीर चौक, सरईभद्र, गांधीनगर, मिडमुडा, आईटीआई कॉलोनी चक्रधरनगर, साहब राम कॉलोनी, मेडिकल कॉलेज, क्रिस्टीमलनगर में किरायेदार को चेक किया गया तथा मकान मालिक को किरायेदार के वैरिफिकेशन के बाद ही मकान किराये पर देने की हिदायत दिया गया है। जांच अभियान में टीआई सुखनंदन पटेल, प्रशांत राव आहैर, मोहन भारद्वाज के साथ कोतरासोड़, साइबर सेल का स्टाफ शामिल था। इसी क्रम में थाना धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम ने भी धरमजयगढ़ क्षेत्र में किराएदारों की जांच कर उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी ली गई। संपत्ति संबंधी अपराधों में अंकुश लगाने इसी प्रकार सभी थाना क्षेत्रों में किराएदार व संदिग्धों की जांच जारी रहेगा।

विशेष पिछड़ी जनजाति की कमार महिलाएं गढ़ रही है विकास की गाथा

रायपुर (आरएनएस)। कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद जिले के छुरा, और धमतरी जिले के नगरी और म्पारलोड विकासखण्डों में पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सरकार में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक उथ्यान के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कमार परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी कमार जनजाति की महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन बांस की कारीगरी और पारंपरिक खेती करना है। महासमुन्द जिले के पिथौरा ब्लॉक से 15

किलोमीटर की दूरी पर स्थित, गाँव सोनासिल्ली अब समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। बिधान योजना के तहत, ग्राम सोनासिल्ली में तकेधरी कमार और सचिव गीता कमार के नेतृत्व में महिला विकास और सशक्तिकरण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कमार महिलाओं ने स्व सहायता समूह का गठन किया गया। इस समूह ने 15,000 रुपये के अनुदान के साथ आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत की है। अपने कौशल और संसाधनों का उपयोग करते हुए, उन्होंने बांस की कारीगरी में हाथ आजमाया और आज बांस से सुन्दर सजावटी सामग्री बनाकर दुकानों में भी विक्रय कर रही है। बांस की सामग्रियों को बेहतरीन कला कृतियों में बदल दिया।

चक्रधरनगर पुलिस ने छेड़खानी के अपराध में अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

बीते 28 जून को थाना चक्रधरनगर में महिला बाल उपाका लड़की को गांव का प्रदीप विशाल पिता बोधराम विशाल (44 वर्ष) द्वारा आते-जाते समय गंदे तरीके से इशारे बाजी कर छेड़खानी करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी। महिला बताई कि गांव का प्रदीप विशाल शराबी किस्म का व्यक्ति है, 15 दिन पहले लड़की तालाब जा रही थी उसे अश्लील बातें कर छेड़खानी किया था लोक लाज के भय से रिपोर्ट



दर्ज नहीं कराये थे जिसके बाद 27 जून को भी लड़की के तालाब जाते समय प्रदीप विशाल अभद्र टिप्पणी कर गंदी नियत से छेड़खानी करते हुए

हाथ बांह पकड़ा, लड़की भाग कर दूसरे के घर चली गई और घर वापस आकर छेड़खानी की घटना बताई। गांव के सचिव और प्रमुख व्यक्तियों से सलाह मशवरा कर आरोपी के विरुद्ध थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। थाना चक्रधरनगर में आरोपित पर अपराध क्रमांक 323/2024 धारा 354(घ), 509 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा महिला संबंधी अपराधों में शीघ्र आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के निर्देशों पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहैर द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर दबिश दिया गया, आरोपी गिरफ्तारी से बचने फरार था जिसे आज सुखबिर सूचना पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में निरीक्षक प्रशांत राव आहैर, महिला प्रधान आरक्षक समुद्र रनकर एवं हमराह स्टाफ शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ में 5000 पटवारियों का आंदोलन शुरूराजस्व विभाग का काम काज ठप

मंत्री की अपील के बाद भी 32 सूत्रीय मांगों पर संघ ने किया आंदोलन

रायपुर। आरएनएस

मंत्री की अपील को ठुकराते हुये 8 जुलाई से प्रदेश भर में पटवारियों के द्वारा हड़ताल की जा रही है। पटवारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में 5 हजार से ज्यादा पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं। पटवारियों द्वारा हड़ताल करने की वजह से राजस्व विभाग के सभी

कामकाज ठप हो गये हैं। प्रदेशभर में पटवारियों ने ये आंदोलन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की अपील को ठुकराते हुये 32 सूत्रीय मांगों को लेकर नया रायपुर धरना स्थल में शुरू किया है। साथ ही अलग अलग जिलों में भी ये प्रदर्शन जारी है। संघ का कहना है कि ऑफिस में ऑनलाइन कामों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर जैसे अन्य सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही है। डिजिटल हस्ताक्षर 100 प्रतिशत करने के लिए शासन स्तर पर दबाव बनाया जाता है। पटवारी अपने खर्च से ही डिजिटल टोकन बनाते हैं, इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आनलाइन रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण के लिए पटवारी की आईडी में आता है, जिसमें क्रेता-विक्रेता से संबंधित सारी जानकारी अंग्रेजी में रहती है। जिसे हिंदी में टाइप करना पड़ता है। लिपिकीय त्रुटि हो सकती है, जिसके लिए पटवारी को ही दोषी समझा जाता है। इनका आरोप ये भी है कि शासन की तरफ से न तो उन्हें नेट भत्ता दिया जाता है और न ही आवश्यक संसाधन दिया जा रहे है। पटवारियों ने ये भी मांग की है कि भूमि, खरीद-बेच में रजिस्ट्री के साथ ही भूईया पोर्टल पर भी इसे अपडेट किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन नक्शा, बटांकन, संशोधन पहले पटवारी आईडी में संशोधित कर राजस्व निरीक्षक की आईडी में भेजा जाता है। अगर राजस्व निरीक्षक की आईडी से अनुमोदन नहीं होता है, तो उसी नक्शे से संबंधित अन्य बटांकन या संशोधन नहीं करने मिलता है, जिसके कारण बेजबह विलंब होता है। दरअसल, राजस्व पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पूर्व अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आश्वासन देते हुए हड़ताल नहीं करने की अपील संघ से की थी।

छत्तीसगढ़ में 18 स्थानीय बोलियों के साथ बच्चे कर सकेंगे पढ़ाई

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के बच्चे स्थानीय बोली और भाषा में जल्द ही पढ़ाई कर सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत सरकार आदिवासी अंचलों में बच्चों को उनकी स्थानीय बोली और भाषा में शिक्षा देने की पहल शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर



सकें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें स्कूल में नामांकन के लिए प्रेरित करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में शाला प्रवेशोत्सव मनाया जाता है। बच्चों की समझ और सीखने की प्रक्रिया में सुधार होगा इस बार राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी जिले जशपुर के बगिया गांव में किया गया।

राजधानी रायपुर से हटाकर इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम ने राज्य के सुदूर कोने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाया। 18 स्थानीय भाषाओं-बोलियों में स्कूली बच्चों की पुस्तकें हो रहीं तैयार इस पहल के तहत पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को स्थानीय बोलियों में अनुवादित किया जाएगा और शिक्षकों को भी इन भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 18 स्थानीय भाषाओं-बोलियों में

स्कूली बच्चों की पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुडुख में कोर्स तैयार होंगे, इसके लिए प्रदेशभर के साहित्यकारों, लोक कलाकारों, संकलनकर्ताओं की मदद ली जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक और शिक्षकों से भी सहयोग लिया जाएगा। हाई स्कूल बगिया के प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा आदिवासी बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं। स्थानीय बोली में शिक्षा से आदिवासी अंचलों के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

**Social Justice Union**  
Registered with Govt. No. 5526

**अधिकार से न्याय तक**

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पूर्ण हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सीनियर एडवोकेट श्री तारामणी श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गैरिजिस्टर्ड बार्ड के सदस्यों कृपे ली.वी.वर्मा, श्रीमती फकरा श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकेश एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक न्याय अथवा मानवाधिकार इन सभी संबंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय संबंधी कर्मों एवं लैबर वेल्फेयर, गरीब, परिवारिक, विधवाओं के उथ्यान के लिए कार्य किया जायेगा।

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ शासनात्मक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उन्में संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

पीड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति को समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिन्याय एवं सौजन्य के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत अधिक तलाशती को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से संपर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यटन संरक्षण एवं पर्यटनवासी सम्बन्धी वेतना हेतु भी जागरूकता सृजन का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासीयों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचित वर्ग के अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक एवं सैमीनारिक स्तर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संयोजित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सतत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु संघ मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों को परेशानी से पहुँचाना सक्षम है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समर्थ सक्षम भी करेगा।
- संघ द्वारा सैमीनारिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विस्तृत कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्गत, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कृतिवियों को दूर करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल विस्तरे पर सक्षम विधिवियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU